

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.0750 हे० भूमि के बदले 100 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव कार्य का प्राक्कलन:-

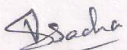
- 1 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पौधों की संख्या - 100 पौध
- 2 रोपित किये जाने वाले पौध हेतु भूमि का क्षेत्रफल- 0.050 हे०
- 3 रोपण स्थल का विवरण:-

वन प्रभाग का नाम- सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई
 रेंज का नाम- हरदोई।
 स्थल का नाम- बीकापुर वन ब्लाक में उपलब्ध रिक्त ऊसर भूमि पर।

4- वन खण्ड रोपण हेतु व्यय का अनुमान:- (2000 पौध प्रति हे०)।

क्रम सं०	वर्ष	कार्य का विवरण	पौधों की संख्या	दर प्रति पौध (रु० में)	धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	2016-17	अग्रिम मृदाकार्य,	100	53.00	5300.00
2	2017-18	वृक्षारोपण।	100	44.00	4400.00
3	2018-19	प्रथम अनुरक्षण।	100	18.00	1800.00
4	2019-20	द्वितीय अनुरक्षण।	100	5.0	500.00
5	प्रथम वर्ष	रोपित पौधों के रखरखाव पर।	100	5.0	500.00
6	द्वितीय वर्ष	रोपित पौधों के रखरखाव पर।	100	5.0	500.00
7	तृतीय वर्ष	रोपित पौधों के रखरखाव पर।	100	5.0	500.00
8	चतुर्थ वर्ष	रोपित पौधों के रखरखाव पर।	100	5.0	500.00
9	पंचम वर्ष	रोपित पौधों के रखरखाव पर।	100	5.0	500.00
10	षष्ठम वर्ष	रोपित पौधों के रखरखाव पर।	100	5.0	500.00
11	सप्तम वर्ष	रोपित पौधों के रखरखाव पर।	100	5.0	500.00
12	आठवाँ वर्ष	रोपित पौधों के रखरखाव पर।	100	5.0	500.00
13	नवौं वर्ष	रोपित पौधों के रखरखाव पर।	100	5.0	500.00
14	दशम वर्ष	रोपित पौधों के रखरखाव पर।	100	5.0	500.00
		कुल योग			17000.00

नोट-उपरोक्त दरें नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-2115/11-सी-क्षतिपूरक वनीकरण दिनांक-01-04-2016 द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर वर्ष 2016-17 के अनुसार है।


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 हरदोई।


 मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक
 सा० वा० वन एवं वन्य जीव विभाग
 हरदोई।